

वित्तीय स्थिरता के मार्ग में उभरती चुनौतियाँ*

शक्तिकांत दास

कारोबार और वित्तीय क्षेत्र को नेतृत्व देने वालों के बीच आज यहाँ आकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। इस आयोजन की अगुवाई कर रहे सहयोगियों, भारतीय बैंक संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की), और बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप, को मेरी ओर से साधुवाद। आपको संबोधित करने की अतिरिक्त ऊर्जा वास्तव में इस बात से मिलती है कि आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से इस वर्ष के सम्मलेन को विषयबद्ध किया है जो दर्शाता है कि बैंकिंग में एक नए प्रतिमान की आवश्यकता को आप समझ रहे हैं। विगत कुछ घटनाओं से, विशेषतः जिन्हें हुए अभी बहुत समय नहीं बीता, वित्तीय क्षेत्र के बारे में जो दृष्टिकोण पैदा हुआ है उसमें एक ओर जहाँ अस्तित्व को ही लेकर चिंता है, वहीं दूसरी ओर एक अधिक सकारात्मक नजरिया है जो हमें संकेत दे रहे अवसरों पर टिका है। मैं यह मानना चाहूँगा कि एक बेहतर भविष्य की कुंजी वैसी चिंता को जन्म देने वाली सीख को भूलने में और बदलते वित्तीय परिदृश्य में स्वयं के अनुकूल सबक को फिर से सीखने में है। विवेकपूर्ण शासन और डिजिटल दुनिया की उभरती धाराओं में ऐसी संभावना है जिससे वित्त संबंधी हमारी अवधारणा नए साँचे में ढल सकती है। इन्हीं व्यापक आधारों पर मैं वित्तीय स्थिरता की उभरती चुनौतियों पर अपने विचार रखूँगा। इस गरिमामय सभा को मेरे संबोधन का यह केंद्रीय विषय होगा।

वित्तीय स्थिरता की परिभाषा पर आम सहमति आज भी नहीं बनी है। मोटे तौर पर, वित्तीय स्थिरता के मूल सिद्धांतों को, आर्थिक संसाधनों के कुशल आबंधन में सहायता पहुँचाने की वित्तीय प्रणाली की क्षमता; वित्तीय जोखिमों के प्रभावी आकलन, मूल्य निर्धारण और प्रबंधन; और बाहरी आघातों से प्रभावित होने के बावजूद इन प्रमुख कार्यों को करने की अपनी क्षमता

* एफआईबीएसी 2019 - मुंबई में 19 अगस्त 2019 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक।

बरकरार रखने के संदर्भ में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि 2004 का आईएमएफ का एक शोध-पत्र कहता है, वित्तीय प्रणाली जब भी अर्थव्यवस्था के कार्य को सुगम बनाने में और अंदर से पनपने या बड़ी प्रतिकूल व अप्रत्याशित घटनाओं¹ से पैदा होने वाले असंतुलन को दूर करने में सक्षम हो, तो वित्तीय प्रणाली स्थिरता के एक दायरे में होती है।

वैश्विक संदर्भ

वित्तीय स्थिरता के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण 2008 के वित्तीय संकट के बाद से बहुत बदल गया जिससे यह काफी साफ़ हो गया कि एक-एक वित्तीय संस्थान की ताकत को जोड़ देने भर से वित्तीय स्थिरता नहीं हो जाती है। नीति निर्माताओं ने समझा कि सूक्ष्म विवेक-सम्मत विनियमनों को प्रणालीगत जोखिम उपायों को पूरक बनना होगा; अन्यथा प्रणालीगत स्थिरता जोखिम में पड़ सकती है।

संकट के दस वर्ष बीत चुके हैं और वित्तीय क्षेत्र के जिन प्रमुख सुधारों की राय जी20 ने दी थी और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा जिनका समन्वय किया गया, वे अधिकांशतः अब लागू हो चुके हैं। बड़े बैंक पहले से बेहतर पूँजीकृत हैं, उनका लीवरेज कम है, और वे अधिक तरल हैं। अतः बैंकिंग प्रणाली आर्थिक आघातों को अब बेहतर झेलने की स्थिति में है। टू-बिग-टु-फ़ेल (टीबीटीएफ) सुधारों का कार्यान्वयन आगे बढ़ रहा है जिसमें बैंकों के लिए प्रभावी निपटान व्यवस्था की स्थापना शामिल है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स को सरलतर और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। सेंट्रल क्लीयरिंग का प्रयोग बढ़ गया है और संपार्श्विकरण का चलन व्यापक है। बैंकेतर वित्तीय अंतरमध्यस्थता के जिन पक्षों का वित्तीय संकट में हाथ रहा है, वे अब कमजोर पड़ गए हैं। तथापि, सुधारों का कार्यान्वयन अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसमें, विशेषतः बैंकेतर क्षेत्र में, असंतुलन भी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन मुद्दों से निपटने के लिए देश विशेष की स्थितियों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाल के घटनाक्रम को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेतों के साथ प्रत्याशा से कम संवृद्धि, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है, इस मोड़ पर वैश्विक वित्तीय

¹ गैरी, जे. एस. (2004). 'डिफाइनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी'। आईएमएफ वर्किंग पेपर, 2004: डबल्यूपी/04/187

स्थिरता के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है। मँडराते व्यापार-तनाव, भू-राजनैतिक जोखिम और संबंधित अनिश्चितताओं का दबाव निवेश परिदृश्य पर बना हुआ है। आईएमएफ की अद्यतन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) की चेतावनी है कि इन घटनाक्रमों के कारण, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कई देशों और क्षेत्रों में संप्रभु (सॉवरिन), कॉरपोरेट और बैंकेतर वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियाँ अपने ऐतिहासिक मानकों की अपेक्षा बढ़ी हुई हैं। इन परिस्थितियों में, केंद्रीय बैंकों व अन्य विनियामकों को मूल सिद्धांत का पालन करना है – विनियामक की पलकें कभी नहीं झपकतीं। अतिशयोक्ति का आवरण हटा दें, तो इसका अर्थ है कि विनियामक व अन्य प्राधिकारियों को सतत सावधान रहना होगा और जो भी कदम आवश्यक हों, उन्हें अग्रसक्रियता से उठाना होगा।

वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अनिश्चितता की कथा कहती है। यद्यपि संकटोत्तर काल में मुख्यतः बासल III सुधारों के कारण बैंक पूँजीकरण बढ़ गया है, बैंकों की लाभअर्जकता फीकी रही है। समष्टि आर्थिक व बैंक-विशेष के कारक दोनों का इसमें योगदान है। महत्वपूर्ण है कि, तकनीकी नवोन्मेष का लाभ उठा रहे फिन-टेक और बिग-टेक जैसे अपारंपरिक खिलाड़ियों से भी बैंकों को बढ़ती स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज) में ये घटनाक्रम वित्तीय स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। यह वाकई जरूरी है कि तकनीक में हुई प्रगतियों और इनसे जुड़े कारोबारी मॉडलों का लाभ बैंक उठाएं। विनियामकों के लिए भी जरूरी है कि अपनी ओर से वे बैंकों व अपारंपरिक खिलाड़ियों के भी इन प्रयासों के फूलने – फलने लायक ढाँचा तैयार करें।

भारतीय परिदृश्य

वित्तीय स्थिरता भारत में सदा से नीतिगत प्राथमिकता रही है। मौद्रिक व वित्तीय स्थिरता दोनों पर ध्यान देना ही रिज़र्व बैंक का मूल उद्देश्य है। वैश्विक मामले की तरह ही भारत ने भी मौजूदा संस्थागत ढाँचे में बदलाव लाकर ही संकट का सामना किया ताकि वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को बढ़ावा मिले। वित्तीय अस्थिरता के विभिन्न माध्यमों को समझते हुए और इस तथ्य के मद्देनजर कि वित्तीय प्रणाली के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग विनियामक हैं, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) और रिज़र्व बैंक के गवर्नर की

अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति (सब कमेटी) के रूप में संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह कार्यरत हैं। अर्द्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर), जो एफएसडीसी सब-कमिटी की रिपोर्ट है, वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, इसके विभिन्न वर्गों में अंतर्संबद्धता की सीमा और कमजोरियों के संभावित स्रोतों का विश्लेषण करती है जो घरेलू वित्तीय स्थिरता पर असर डाल सकती है। अर्द्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर), जो एफएसडीसी सब कमिटी की रिपोर्ट है, ये विश्लेषण करती है कि वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके विभिन्न हिस्से किस हद तक आपस में जुड़े हुए हैं और वे संभावित कारण कौन से हैं जिनके चलते वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली कमजोरियाँ पनप रही हैं। वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूलताएं अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से उद्भूत हो सकती हैं, जैसे, (i) ऋण (क्रेडिट) बाजार; (ii) वित्तीय बाजार; (iii) बाह्य क्षेत्र; और (iv) भुगतान प्रणाली। इसके कुछ अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। लेकिन आज, मैं इन चार पक्षों पर प्रकाश डालूँगा।

बैंकिंग क्षेत्र से प्रतिकूलताएं

भारत में ऋण बाजार पर आधिपत्य है बैंकिंग क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय अंतरमध्यस्थता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वित्तीय स्थिरता पर बैंकिंग व्यवस्था की मजबूती का असर विभिन्न माध्यमों से पड़ सकता है – अतिरिक्त ऋण वृद्धि; बेमेल परिपक्वताएं (परिपक्वताओं का बेमेल होना) और चलनिधि मामले; अनर्जक कर्जों का बड़ा अनुपात; और ओवरलीवरेजिंग (ज्यादा लीवरेजिंग) व अन्यान्य कई कारण। अलग-अलग संस्थान अपने आप में मजबूत हों तब भी समग्र तौर पर वित्तीय क्षेत्र के काम-काज से प्रणालीगत जोखिम हो सकता है। अतः वित्तीय स्थिरता के लिए यह बेहद जरूरी है कि बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य की निगरानी होती रहे।

हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक और सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों की प्रचुरता में कमी आई है। आगे, ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए समष्टि दबाव परीक्षण (मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट) संकेत दे रहे हैं कि आधार परिदृश्य (बेसलाइन सिनैरियो) के तहत, मार्च 2020² तक जीएनपीए अनुपात और गिर सकते हैं। अन्य संकेतों, जैसे प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर), पूँजी

² वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2019, भारतीय रिज़र्व बैंक।

पर्याप्तता एवं आस्तियों पर प्रतिलाभ में भी सुधार हुआ है। मैंने पहले इस पर जोर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्य-निष्पादन, सक्षमता, आंतरिक स्थिरता और प्रशासन में सुधार की वास्तविक परीक्षा पूँजी बाजार तक पहुँचने की उनकी क्षमता होगी बजाय इसके कि पुनः-पूँजीकरण के लिए पहला और अंतिम उपाय वो सरकार को ही मान बैठें।

कुछ शुरुआती समस्याओं के होते हुए भी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) बाजी पलटने वाली साबित हो रही है। जून 2019 में तैयार किए गए दबावग्रस्त आस्तियों वाले नए मानकों में शीघ्र निपटान के लिए प्रोत्साहन और निपटान प्रक्रिया में उधार देने वाले को विवेकाधिकार दिए गए हैं। उद्देश्य यह है कि अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के दबाव को भविष्य में और बढ़ने से रोका जा सके और बैंकिंग क्षेत्र को बचाया जा सके। आईबीसी में हाल के संशोधनों से भी दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र निपटान में सहायता मिलनी चाहिए।

जैसा कि हमने हाल (विगत कुछ समय) में देखा है, अंतरसंबद्धता, एक्सपोजर संकेंद्रण, बाजार के तौर-तरीकों में अपारदर्शिता, प्रशासन की कमियों से विनियमित इकाइयों में जोखिमों के बढ़ने और इनके संक्रामक प्रभावों का असर वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। इस संबंध में बैंकों और गैर-बैंकों (बैंकेतर इकाइयों) में अंतरसंबद्धता को रिज़र्व बैंक गौर से देख रहा है। मूल निवेश कंपनियों पर गठित कार्यदल ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है और इसकी राय पर रिज़र्व बैंक सीआईसी के विनियामक ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन करना चाहता है। बैंकों और बैंकेतर इकाइयों (गैर-बैंकों) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए हम एक विशेषज्ञता-प्राप्त कैडर बनाने की प्रक्रिया में भी हैं।

इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विषय है बैंकों में कॉरपोरेट प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल जरूरत जिस पर मैंने पहले भी प्रकाश डाला है। इसमें उनके बोर्डों और बोर्ड उप-समितियों, विशेषतः लेखा परीक्षा व जोखिम प्रबंधन समितियों का कुशलता से कार्य; एमडी/सीईओ के कार्य की निगरानी के लिए सुदृढ़ प्रणाली; और बैंकों के वित्तीय व परिचालनीय मानकों को बेहतर करने के लिए एक कार्य-निष्पादन की एक प्रभावी मूल्यांकन व्यवस्था शामिल होगी। पब्लिक सेक्टर बैंकों

(पीएसबी) में प्रशासन व्यवस्था संबंधी सुधार पर अपने सुझाव हमने सरकार को पहले ही भेज दिए हैं। कुल मिलाकर, यह महत्वपूर्ण है कि जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, अनुपालन कार्य व आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ मजबूत हों और अधिक स्फूर्त/सक्रिय बनाई जाएं।

बैंकेतर क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में आएँ, तो यह क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र का पूरक है और अंतिम मील को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करना चाहता है। आगे, विशिष्ट एनबीएफसी, आधारभूत संरचना की अपूर्ण और अलग किस्म की ऋण जरूरतों को पूरा करने, फैक्ट्रिंग, लीजिंग और इस प्रकार के अन्य कार्य करती हैं। अपारंपरिक और डिजिटल खिलाड़ी इस क्षेत्र में आकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए ढंग से वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र, पूँजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र की अन्य इकाइयों से एनबीएफसी की अंतरसंबद्धताओं का एक जाल है। रिज़र्व बैंक इन अंतरसंबद्धताओं पर निगरानी रखता है ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो। इस क्षेत्र को मजबूत करने, स्थिरता कायम करने और विनियामक अंतरपणन से बचने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक व सरकार अग्रसक्रियता से आवश्यक विनियामक व पर्यवेक्षी कदम उठा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि विनियमन व पर्यवेक्षण का स्तर पर्याप्त हो ताकि एनबीएफसी क्षेत्र वित्तीय रूप से प्रत्यास्थ (पुनरुत्थानशील) और सुदृढ़ हो। अल्प, मध्य व दीर्घावधि में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम आवश्यक हों, हम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं।

हमारा उद्देश्य है कि बैंकों व एनबीएफसी के विशिष्ट कारोबारी माडलों को ध्यान में रखते हुए, उनके चलनिधि मानकों में तालमेल बिठाया जाए है। हम एनबीएफसी में प्रशासन और जोखिम प्रबंधन संरचना को भी देख रहे हैं। हाल में मई 2019 में ₹5,000 करोड़ व उससे अधिक की आकार के एनबीएफसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने को कहा गया है जिसकी निर्दिष्ट भूमिका व जिम्मेदारियाँ होंगी। प्रत्याशा है कि बड़ी एनबीएफसियों के काम-काज में इससे पेशेवर जोखिम प्रबंधन के तत्व आएंगे।

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की आस्ति-देयता संरचनाओं को देखते हुए उन्हें रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे

में लाना एक महत्वपूर्ण कदम है। एचएफसी कंपनियों को शामिल करने से, एनबीएफसी क्षेत्र का आकार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट का लगभग 25 प्रतिशत हो जाता है। रिज़र्व बैंक इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

वित्तीय बाजारों की प्रतिकूलताएं/ से प्रतिकूल धाराएं

बैंकों व गैर-बैंकों के अलावा, वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल धाराएं वित्तीय बाजारों से भी उद्भूत हो सकती हैं। मुद्रा व ऋण संकट की वैश्विक स्तर पर बढ़ती बारंबारता व तीव्रता तथा उत्पादन में हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता के मद्देनजर यह आवश्यक हो जाता है कि वित्तीय बाजारों का विनियमन व निगरानी सावधानी पूर्वक हो। संक्रमण के जोखिम के बढ़ने व इसके चलते प्रभावी विनियमन हेतु नीति की गुंजाइश के घटने के कारण वित्त के वैश्वीकरण ने इस कार्य को और कठिन बना दिया है। मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव्स आदि बाज़ार के विभिन्न वर्गों के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक का रुख नपा-तुला, क्रमिक व सावधान रहा है ताकि इन बाजारों को विकसित किया जा सके व आपस में जोड़ा जा सके। व्यापक उद्देश्य यह रहा है कि तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप चला जाए और वित्तीय स्थिरता के संभावित जोखिमों के प्रति चौकस भी बरती जाए। इसके लिए हम आदेशात्मक से हटकर सिद्धांत-आधारित विनियमन अपनाते हुए बाज़ार की ताकतों को मुक्त कर रहे हैं जिसकी मुख्य विशेषताएं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उत्पादों में नवोन्मेष को प्रोत्साहन, विभिन्न सहभागी वर्गों के बीच विनियामक अंतर को दूर करना और खुदरा बाज़ार सहभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मैं एक उदाहरण दूँ। हाल में हमने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति दी है जिस पर बाज़ार दरों पर विदेशी मुद्रा खरीदी या बेची जा सकती है। यह प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध है और अलग-अलग बैंकों/बिचौलिए (ब्रोकर) के पास गए बिना ग्राहक को सर्वोत्तम बाज़ार दर मिल सकती है। इस प्रकार फिनटेक के द्वारा वित्तीय बाजारों को अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

वित्तीय बाज़ार जैसे-जैसे खुल रहे हैं, स्थिरता संबंधी चिंताओं से पूँजी प्रवाह नियंत्रण उपायों (जैसे ऋण बाज़ार में विदेशी निवेश पर समग्र सीमा) या समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों

(जैसे, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य उधार पर सीमा) के माध्यम से निपटा जा रहा है।

बाज़ार की सत्यनिष्ठा को उन्नत बनाने के लिए विश्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया विनियमन का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। पिछले कुछ वर्षों में, विधिक संस्था अभिज्ञापक (एलईआई) प्रणाली को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित डेरिवेटिव बाजारों सहित सभी वित्तीय बाजारों और बैंक के कर्जों के लिए भी क्रमशः लागू किया गया है। हमारा मानना है एक बार एलईआई प्रणाली का व्यापक प्रयोग होने लगे तो वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता काफी बेहतर हो जाएगी। बाज़ार दुरुपयोग को नियंत्रित करने और मानक (बेंचमार्क) निर्धारण प्रक्रिया के उन्नयन के लिए हाल के विनियमन वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

पेशेवर और विशेषज्ञता रहित ग्राहकों के प्रति अलग-अलग व्यवहार डेरिवेटिव बाजारों के विनियमन की एक खास बात है। इसके अलावा डेरिवेटिव बाजारों की उपलब्धता (एक्सेस) में भेदभाव को क्रमशः हटाया जा रहा है। अब कोई भी – निवासी या अनिवासी – इन बाजारों का उपयोग एक समान शर्तों पर कर सकता है। अब किसी के लिए भी – निवासी या अनिवासी – ये बाजार एक समान शर्तों पर उपलब्ध हैं। वस्तुतः विनियमन का एक अहम लक्ष्य यह है कि अनिवासियों हेतु प्रोत्साहनों को इस तरह समायोजित किया जाए कि वे क्रमशः देशी बाज़ार की ओर आएँ। जैसा कि आप जानते होंगे, पूर्व उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात की अध्यक्षता में गठित अपटतीय (ऑफ़शोर) रुपया बाज़ार कार्यदल, ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिनसे देश के (ऑनशोर) बाज़ार में अनिवासियों की भागीदारी बेहतर होने की संभावना है। हमारा लक्ष्य है कि देश में स्थित बाज़ार को अधिक सुगम बनाया जाए और लेन-देन की मात्रा बढ़ाई जाए।

बाह्य प्रतिकूलताएं और देशी वित्तीय स्थिरता

शेष विश्व के साथ व्यापार व वित्त संपर्क बढ़ने के कारण, बढ़ी हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावित होने की संभावना भारत के लिए बढ़ गई है। व्यापार चैनल पर वैश्विक आघातों का ठोस असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, जबकि वित्त व विश्वास के चैनल वैश्विक आघातों को शीघ्र ही संचारित करते हैं जैसा कि भारत के मामले में 2013 के मध्य में टैपर टैंट्रम की अवधि में हुआ था। वस्तुतः बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऋणात्मक व

कम ब्याज दरों के कारण ईएमई में संकटोत्तर अवधि में प्रत्यक्ष व पोर्टफोलियो निवेशों के रूप में निवल पूँजी प्रवाह लगभग दुगुना हो गया है। तथापि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति की उच्च अनिश्चितताओं के कारण ये प्रवाह स्थिर नहीं साबित हुए और इसलिए ईएमई के लिए काफ़ी जोखिम का कारण बने। ठीक एक वर्ष पहले विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों में प्रत्याशा-से-तीव्रतर कसाव के कारण भारत सहित कई ईएमई से पोर्टफोलियो पूँजी बाहर निकल गई जिससे घरेलू मुद्राओं पर अधोगामी दबाव पड़ा।

हाल के वर्षों में, भारत के बाह्य क्षेत्र को चालू खाता घाटे के वहनीय स्तर से फायदा मिला जिसके लिए वित्त अधिकांशतः मजबूत विदेशी निवेश के आगम और लचीली विनिमय दर नीति से मिला। 2018-19 में नाजुकता/ भेद्यता संकेतों (वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर) में सुधार जैसे, बाह्य ऋण व जीडीपी अनुपात (2018 मार्च-अंत के 20.1 प्रतिशत से 2019 मार्च-अंत में 19.7 प्रतिशत) तथा कर्ज चुकौती अनुपात (2018 मार्च-अंत के 7.5 प्रतिशत से 2019 मार्च-अंत में 6.4 प्रतिशत) भी घरेलू वित्तीय बाजारों पर बाह्य प्रतिकूलताओं के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से अच्छे संकेत हैं। मजबूत समष्टि-आर्थिक मानकों के बावजूद, बाह्य प्रतिकूलताओं के लगातार बदलते समीकरण के कारण नीतिगत तैयारी जरूरी होती है ताकि वैश्विक आघातों के प्रभाव को कम किया जा सके और वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाई रखी जा सके। बचाव के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ़ जापान के साथ 75 बिलियन यूएस डॉलर के एक द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा व पूँजी बाजारों में अधिक स्थिरता लाना है।

भुगतान प्रणाली और वित्तीय स्थिरता

खुदरा भुगतान में हुए कई नवोन्मेषों ने भुगतान प्रक्रिया को एक नया आकार दिया है और खुदरा भुगतान परिदृश्य को बदल डाला है। भारत की भुगतान व्यवस्थाएं सक्षम, संरक्षित व सुरक्षित मानी जाती हैं। इसे मानते हुए और आत्मसंतुष्ट न होते हुए रिजर्व बैंक ने देश की भुगतान प्रणाली व तौर-तरीकों को विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में देखने की कोशिश की है। विनियमन व निगरानी सहित विभिन्न संकेतों के आकलन से पता चलता है कि भारत का विनियामक ढाँचा सुदृढ़ है।

तथापि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में फिनटेक व बिगटेक फ़र्मों जैसे नवागंतुक वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दुनिया को बदल रहे हैं। उधार देने के कई नए प्लेटफ़ॉर्म जैसे पी2पी और बीच-बाजार /बिचौलिया कर्जदाता (मार्केटप्लेस लेंडर्स) विश्व के विभिन्न देशों में सामने आए हैं। इससे संबंधित कुछ चुनौतियों व अवसरों पर प्रकाश डालते हुए, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की हालिया वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट बताती है कि ऐसी फ़र्में लगभग शून्य लागत पर बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा कर सकती हैं जिसका उपयोग उधार लेने वाले से जुड़े जोखिम के बेहतर आकलन में हो सकता है और चुकौती के आश्वासन हेतु संपार्श्विक की जरूरत को कम किया जा सकता है। ये नए खिलाड़ी भुगतान सेवाओं, धन-प्रेषण सेवाओं व सीमापार भुगतान की व्यवस्था में भी आए हैं। इसके अतिरिक्त, इनके पास बहुत तेज वृद्धि करने तथा बड़े होने और प्रणालीगत महत्त्व के वित्तीय संस्थान बनने की संभावना है जो वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी चिंताओं को जन्म देता है।

ऐसे गंभीर परिवर्तनों के सामने नीति निर्माता की दुविधा नवोन्मेष व विनियमन के मध्य-मार्ग पर चलने से कहीं ज्यादा है। लोक-नीति को यहाँ अधिक व्यापक व सर्व-समावेशी होना पड़ेगा जिसमें वित्तीय विनियमन, स्पर्धा नीति और आँकड़ों की निजता के विनियमन का ध्यान रखा जाए। विभिन्न प्राधिकारियों – जैसे वित्तीय विनियामकों, स्पर्धा प्राधिकारियों और आँकड़ा संरक्षण पर्यवेक्षकों - के बीच समन्वय इस मोड़ पर महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में भुगतान व निपटान प्रणाली के लिए रिजर्व बैंक का विज़न-2021 हर भारतीय को ई-भुगतान विकल्पों के ऐसे तरकश से लैस करना चाहता है जो संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज व किफायती हो। श्री नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी समिति (कमिटी ऑन डीपेनिंग ऑफ़ डिजिटल पेमेंट्स) ने अगले तीन वर्षों में डिजिटल भुगतान को 10 गुना बढ़ाने का सुझाव दिया है जिसमें डिजिटल भुगतानों पर लेन-देन प्रभारों को हटाने, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बैंकों के लिए केवाईसी लागत को घटाने से सहायता मिल सकती है। समिति के सुझावों के आधार पर रिजर्व बैंक आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

समापन टिप्पणियाँ

अंत में मैं, उपभोक्ता संरक्षण के महत्त्व को रेखांकित करना चाहूँगा जो न केवल लोगों के लिए उपलब्धता बल्कि हितधारकों के विश्वास के एक व्यापक संदर्भ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं का विश्वास कि सेवाएं उचित मूल्य पर हैं, निवेशकों का विश्वास कि हितधारक उनके सर्वोत्तम सामूहिक हित में कार्य कर रहे हैं, विश्वास विनियामकों का कि ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण कार्यकलापों का उचित व तर्कसम्मत आकलन ही प्रस्तुत कर रहे हैं - इन सबका राष्ट्रीय बचत व वित्तीय स्थिरता में अमूर्त किंतु अहम योगदान है। लेहमन प्रकरण के बाद अमेरिकी वित्तीय बाजार इसके बड़े और संयतकारी उदाहरण हैं कि जब निवेशकों

का विश्वास हवा हो जाए तो क्या होता है। वस्तुतः उपभोक्ता संरक्षण को एक प्रमुख धुरी के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके चारों ओर सभी विनियामक व पर्यवेक्षी प्रयास विकसित हों। अंत में यह कहना चाहता हूँ कि एक स्थिर वित्तीय प्रणाली विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। तथापि, जैसा कि हमने देखा, वित्तीय परिदृश्य लगातार बदल रहा है और नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। उभरते परिदृश्यके साथ बेहतर अनुकूलन के लिए रिज़र्व बैंक विनियामक व पर्यवेक्षी ढाँचे का निरंतर उपयोग कर रहा है। अतः आईबीए, इसके सदस्य, और अन्य हितधारकों को साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया सफलता से विकसित हो।